

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

अधिसूचना

संख्या 01/नि02-01/2012 (खण्ड)...../ राँची, दिनांक:

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह समाधान हो चुका है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के लागू होने के फलस्वरूप राज्य में अवस्थित राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय/राजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय/जिला प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य एवं व्याख्याता हेतु अलग से सेवा शर्त नियमावली बनाना आवश्यक हो गया है, अतः 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यान्तर्गत अवस्थित प्रशिक्षण संस्थानों हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

अध्याय-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ :

- (क) यह नियमावली "झारखण्ड राज्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2016 कही जायेगी।"
- (ख) इसका विस्तार संपूर्ण राज्य पर होगा।
- (ग) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

अध्याय-2

2. परिभाषाएँ: जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, इस नियमावली में:

- (क) "राजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय" से अभिप्रेत हैं, राज्य सरकार द्वारा स्थापित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जहाँ प्राथमिक / प्रारम्भिक स्तर की शिक्षक प्रशिक्षण अथवा अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है।
- (ख) "जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान" (DIET) से अभिप्रेत है, जैसे राजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में उत्क्रमित किये गये हो अथवा स्थापित किये गये हों और जहाँ प्रारंभिक शिक्षा हेतु शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा अन्य प्रशिक्षण/शोध की व्यवस्था की गई है।

- (ग) “जिला संसाधन केन्द्र” (DRC) से अभिप्रेत है, जैसे राजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय जो जिला संसाधन केन्द्र में उत्क्रमित किये गये हैं या स्थापित किये गये हो एवं जहाँ प्रारंभिक शिक्षा हेतु शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।
- (घ) “राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रशिक्षण महाविद्यालय जहाँ माध्यमिक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण या समतुल्य पाठ्यक्रम अथवा अन्य कार्यक्रम संचालित हो।
- (ङ) “शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय” (CTE) से अभिप्रेत है, जैसे राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (College of Teachers Education) में उत्क्रमित किये गये हो अथवा स्थापित किये गये हो एवं जहाँ माध्यमिक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा अन्य पाठ्यक्रम संचालित हो।
- (च) “उच्चतर अध्ययन शिक्षा संस्थान” (Institute for Advanced Study in Education) (IASE) से अभिप्रेत है, जैसे राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जो उच्चतर अध्ययन शिक्षा संस्थान में उत्क्रमित/स्थापित किये गये हैं तथा जहाँ एम0एड0, एम0फिल0 एवं शिक्षा पर शोध संबंधी कार्यक्रम अथवा अन्य पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संचालित हो।
- (छ) “व्याख्याता” से अभिप्रेत है प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्त/पदस्थापित पदाधिकारी, जो शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य करते हैं।
- (ज) “सहायक प्राध्यापक” (Assistant Professor) से अभिप्रेत है स्नातकोत्तर प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्त / प्रोन्नत / पदस्थापित पदाधिकारी, जो शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य करते हैं।
- (झ) “सह प्राध्यापक” (Associate Professor) से अभिप्रेत है स्नातकोत्तर प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्त/प्रोन्नत/ पदस्थापित पदाधिकारी, जो शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य करते हैं।
- (ञ) “प्राध्यापक” (Professor) से अभिप्रेत है, स्नातकोत्तर प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्त / प्रोन्नत / पदस्थापित पदाधिकारी, जो शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य करते हैं अथवा आवश्यकतानुरूप संकायाध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किये गये हों।
- (ट) “प्राचार्य” से अभिप्रेत है सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रधान के रूप में नियुक्त/प्रोन्नत/पदास्थापित पदाधिकारी।
- (ठ) “शिक्षकेतर कर्मचारी” से अभिप्रेत है शिक्षक प्रशिक्षण कार्य हेतु नियुक्त/पदास्थापित पदाधिकारी को छोड़कर महाविद्यालय के अन्य सभी पूर्णकालीन कर्मचारी।

- (ड) "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्" से अभिप्रेत है शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था को विनियमित करने वाला भारत सरकार का प्राधिकृत संस्थान।
- (ढ) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से अभिप्रेत है उच्च शिक्षा को विनियमित करने वाला भारत सरकार का प्राधिकृत संस्थान।
- (ण) "प्रशिक्षण पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है, प्रशिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम।
- (त) "विभाग" से अभिप्रेत है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।
- (थ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार।
- (द) "निदेशक, प्राथमिक शिक्षा" से अभिप्रेत है राज्य स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का प्रभारी निदेशक।
- (ध) "निदेशक, माध्यमिक शिक्षा" से अभिप्रेत है राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा का प्रभारी निदेशक।
- (न) "निदेशक, झारखण्ड शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्" से अभिप्रेत है राज्य स्तर पर स्थापित किये गये शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी निदेशक।
- (प) "विशेष आवश्यकता वाले अभ्यर्थियों" से अभिप्रेत है शारीरिक रूप से निशक्त अभ्यर्थियों।

3. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु पदस्थापित पदाधिकारियों की श्रेणियाँ :-

- (क) नियमावली के नियम 2(क), 2(ख) एवं 2(ग) के प्रशिक्षण महाविद्यालयों के पदाधिकारियों की श्रेणियाँ :

<u>श्रेणी</u>	<u>वेतनमान</u>
प्राचार्य	PB-II रु० 9300-34800, ग्रेड पे० - रु० 5400/-
व्याख्याता	PB-II रु० 9300-34800, ग्रेड पे० - रु० 4600/-

- (ख) नियम 2(घ), 2(ङ), एवं 2(च) के प्रशिक्षण महाविद्यालयों के पदाधिकारियों की श्रेणियाँ:

<u>श्रेणी</u>	<u>वेतनमान</u>
(i) प्राचार्य (स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम)	PB-III रु० 15600-39100 ग्रेड पे० - रु० 7600/-
(ii) व्याख्याता (स्नातक स्तरीय पाठ०)	PB-II रु० 9300-34800,

ग्रेड पे0 - रु0 5400/-

- (iii) प्राचार्य/प्राध्यापक/संकायाध्यक्ष (स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ0) PB-III रु0 15600-39100
ग्रेड पे0 - रु0 7600/-
- (iv) सह-प्राध्यापक (स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ0) यथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित
- (v) सहायक प्राध्यापक (स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ0) यथा PB-III रु0 15600-39100 ग्रेड पे0 - रु0 6600/-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित
- (ग) नियम 2 में उल्लिखित प्रशिक्षण महाविद्यालयों में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप शिक्षक प्रशिक्षकों का पद होगा।

4. अहर्ता : नियम 3 के श्रेणियों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु अहर्ता वही होगी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा इन पदों के लिए निर्धारित है अथवा भविष्य में उनके द्वारा निर्धारित/संशोधित होगा। परन्तु कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं विशेष आवश्यकता वाले अभ्यर्थियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा प्राप्तांक की अहर्ता में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।

5. संवर्ग : नियमावली के नियम 3 (क) तथा 3 (ख) के श्रेणियों के पदों का अलग-अलग राज्य स्तरीय संवर्ग होगा तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, झारखण्ड शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् होंगे।

इन पदों पर राज्य शिक्षा सेवा/अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों को पदस्थापित नहीं किया जा सकेगा। परन्तु यह कि जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रशिक्षण/शिक्षण शाखा में की गयी है तथा वे इस नियमावली में निर्धारित अहर्ता को पूरा करते हैं, तो उनसे विकल्प प्राप्त करते हुए इन प्रशिक्षण महाविद्यालयों में यथा अहर्तानुरूप पदों पर पदस्थापित किया जायेगा। परन्तु यह कि ऐसे पदाधिकारी, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण महाविद्यालय संवर्ग के पदाधिकारी हो जायेंगे और वे राज्य शिक्षा सेवा अथवा अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारी नहीं रह जायेंगे।

6. नियुक्ति की प्रक्रिया :

(क) नियम 3 में उल्लिखित प्रत्येक श्रेणियों के स्वीकृत पदों तथा कार्यरत बल का आकलन अलग-अलग किया जायेगा तथा आकलित रिक्त पदों की अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार को भेजी जायेगी।

(ख) झारखण्ड लोक सेवा आयोग अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा नियम 3(क) के पदों पर नियुक्ति निम्नवत् भारिता के अनुसार की जायेगी।

(i) अकादमिक उपलब्धि - 80 प्रतिशत

(ii) साक्षात्कार - 20 प्रतिशत

(ग) झारखण्ड लोक सेवा आयोग अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा नियम 3(ख) के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु निर्धारित मानदंड एवं भारिता के अनुसार की जायेगी।

